रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 279] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 4, 1985/ज्येष्ठ 14, 1907
No. 279] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 4, 1985/JYAISTHA 14, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 जून, 1985

अधिसूचना

का. आ. 444(अ):—चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 6 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कुमारी ए. एम. नादकर्णी को श्री विक्रम सिंह की 3-6-85 से 16-6-1985 तक अवकाश पर अनुपस्थिति के दौरान केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के पद के चालू कर्त्तव्यों को देखने के लिए नियुक्त करती है।

[फाइल सं. 801/32/85-एफ (सी)]

आर. डी० जोशी, उप सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 4th June, 1985

NOTIFICATION

S.O. 444(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Cinematograph Act, 1952 read with rule 6 of the Cinematograph, (Certification) Rules, 1983, the Central Government hereby appoints Kum. A. M. Nadkarni to look after the current duties of the post of the Chairman, Central Board of Film Certification during the absence on leave of Shri Bikram Singh from 3-6-85 to 16-6-1985.

[File No. 801|32|85-F(C)]

R. D. JOSHI, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985